



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1947 (श10)

(सं० पटना 1814) पटना, बुधवार, 31 दिसम्बर 2025

नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि-पत्र

26 दिसम्बर 2025

सं० 11/न0वि0/गठन-08/2025-3684—जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 894 दिनांक 17.03.2025 द्वारा नगर परिषद्, खगौल का क्षेत्र विस्तार हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। उक्त आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 3 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1593 दिनांक 03.06.2025 द्वारा नगर परिषद्, खगौल का क्षेत्र विस्तार से संबंधित प्रारूप अधिसूचना निर्गत की गई। तत्पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 5 के आलोक में प्राप्त दावा/आपत्ति का जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा निराकरण करते हुए पत्रांक 3299 दिनांक 22.09.2025 द्वारा नगर परिषद्, खगौल के क्षेत्र विस्तार हेतु अनुशंसा की गई। उक्त आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3057 दिनांक 04.10.2025 द्वारा नगर परिषद्, खगौल के क्षेत्र विस्तार हेतु अधिसूचना निर्गत की गई। प्रारूप अधिसूचना संख्या 1593 दिनांक 02.06.2025 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 3057 दिनांक 04.10.2025 के अनुसार नगर परिषद्, खगौल की जनसंख्या 65451 है।

2. जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 3954 दिनांक 01.12.2025 द्वारा नगर परिषद्, खगौल की कुल जनसंख्या 65451 के स्थान पर कुल जनसंख्या 65452 करने की अनुशंसा की गई।

3. जिला पदाधिकारी, पटना के अनुरोध पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में प्रारूप अधिसूचना संख्या 1593 दिनांक 02.06.2025 तथा अधिसूचना संख्या 3057 दिनांक 04.10.2025 में नगर परिषद्, खगौल की जनसंख्या 65451 के स्थान पर 65452 पढ़ा एवं समझा जाए।

4. अधिसूचना संख्या 1593 दिनांक 02.06.2025 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 3057 दिनांक 04.10.2025 का शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवेन्द्र सुमन,
परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1814-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>